



वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिस्थित अभिभाषकगण

1. श्री वरिविन्द्र कुमार गुप्ता - वादीगण
2. श्री संजय पाल गोदारा - प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 18/12/20

वादी की ओर से श्री वरिविन्द्र कुमार गुप्ता प्रतिवादीगण की ओर से संजय गोदारा अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा व शपथ पत्र वादी व प्रतिवादी सं. 1,2 दिनांक 16.12.20 को मध्य नजर रखते हेए स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि:-

(क) वादी रजनीश राविया को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
9एसएसडब्ल्यु	150/304	74	1/3/.089, 2/3/.164, 3से5, 6से10
	151/304	73	1 से 10

कुल- 4.807 है0 कमाण्ड मय गैर मुमकिन

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 जयपाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
9एसएसडब्ल्यु	149/301	52	14, 15, 16/1/.224, 17/1/.224, 18/1/.224, 19/1/.224, 20/1/.224
8 एसएसडब्ल्यु	154/295	125	16 से 25
	154/296	127	1 से 5

कुल- 5.421 है0 अनकमाण्ड, कमाण्ड मय गैर मुमकिन

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 18/12/20 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

प्रमाणित प्रतिलिपि

सीडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

मितान किया